दैनिक भास्कर रायपुर 22-07-2025

19 नदियों के उद्गम की रक्षा के लिए कमेटी बनाएंः हाई कोर्ट

बिलासपुर | हाई कोर्ट ने अरपा समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों के संरक्षण को लेकर अहम आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने अरपा समेत प्रदेश की 19 नदियों के उद्गम स्थलों को सुरक्षित करने के लिए राज्य शासन को स्पेशल कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि सभी नदियों के उद्गम स्थलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर चिह्नांकित किया जाए। राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी के साथ शपथ पत्र देने को कहा गया है।अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन की मांग करते हुए जनहित याचिकाएं लगाई गई थीं। अधिवक्ता अरविंद शुक्ला और रामनिवास तिवारी की ओर से लगाई गई याचिकाओं में अरपा के उद्गम स्थल के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं, अरपा अर्पण महाअभियान समिति की जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार की पाबंदी के बावजूद नदी में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। याचिका में यह भी बताया गया कि बारिश में खनन से बने गहरे गड्ढे में डूबकर तीन बालिकाओं की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने इन पहलुओं पर गहरी चिंता जताई। इस मामले पर अगली सुनवाई सितंबर में होगी।